



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/12/09 (खण्ड XIX)/478
SPMCIL/VIG/12/09 (Vol XIX)/

दिनांक 23.04.2014
Date 23.04.2014

परिपत्र/Circular

विषय: सतर्कता अधिकारियों को सतर्कता के अलावा अन्य कर्तव्यों/जिम्मेदारियां निर्दिष्ट करने के संदर्भ में।

Sub: Assigning duties/responsibilities other than Vigilance to the Vigilance officials - reg.

यह देखा गया है कि एक इकाई द्वारा भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय की पूर्व अनुमति के बिना सतर्कता अधिकारी को सतर्कता से भिन्न अन्य कार्य हेतु अधिकृत किया जा रहा था। उपर्युक्त के संदर्भ में, सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि वे किसी भी सतर्कता अधिकारी (कार्यपालक/ कर्मचारी दोनों) को सतर्कता के अलावा अन्य कर्तव्य/जिम्मेदारियां सौंपने से पहले भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय की पूर्व अनुमति लेना सदा ही सुनिश्चित करें।

It has been observed that a Vigilance officer was being assigned some work other than Vigilance by one of the unit without prior approval of CVO, SPMCIL. In view of above, all concerned are hereby informed to ensure that whenever any Vigilance Official (both executive/non-executive) is intended to be assigned any duty/responsibility other than related to Vigilance, prior approval of CVO, SPMCIL should be invariably obtained.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
2. This issues with the approval of Competent Authority.

(ए. के. रे.)/(A. K. RAY)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्तव्य अधिकारी।/OSD to CMD.
2. निदेशक (मानव संसाधन/तकनीकी)/मु.स.अ.।/Director (HR/T)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (वित्त)।/Addl. GM (Finance).
4. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ.।/DGMs (Corporate Office)/Dy. CVO.
5. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)।/All Vigilance Officials (CHO/units).
6. सूचना पटल।/Notice Board.